न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
358 / 2018	26 / 10 / 2018	20 / 04 / 2022

1 औमप्रकाश पुत्र घीशा जाति ब्राह्मण निवासी नांगल उदिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

:— वादी

बनाम

1 महेशचन्द पुत्र शिवचरण
2 स्नेहलता पुत्री शिवचरण
3 राजबाला पत्नी सुरेश
4 नेमन्त कुमार
5 नरेन्द्र कुमार
6 रविन्द्र कुमार
7 देवेन्द्र कुमार पुत्रान सुरेश
8 नेमलता पुत्री सुरेश
9 सचेतानन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण
10 ब्रहमानन्द पुत्र श्योदयालयान नांगल उदिय जातियान ब्राह्मण निवासियान तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0
11 सबरजिस्ट्रार मुण्डावर जिला अलवर
12 तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर
13 शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:— असल प्रतिवादीगण

14 सदाकौर पत्नी धनपत
15 बलवन्ता देवी पत्नी रामपत जातियान जाट निवासियान नांगल उदिया तहसील मूण्डावर जिला अलवर
16 अमित कुमार
17 प्रवीण कुमार पुत्रान कैलाशचन्द
18 शशि पत्नी मुन्नालाल
19 प्रवीण कुमार
20 नवीन कुमार पुत्रान मुन्नालाल
21 टीना पुत्री मुन्नालाल
22 श्याम
23 प्रहलाद पुत्रान रामप्रताप
24 निरंजन पुत्र जयनारायण
25 सुशीला देवी किशोरीलाल
26 शान्ति पत्नी बाबूलाल जातियान ब्राह्मण निवासियान नांगल उदिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

:— तर प्रतिवादीगण

दावा :— इश्तकाररहक, दुरस्ती इन्द्राज, बम्य हु0ई0दवामी
[illegible] काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :— श्री गंगाराम पटेल — वकील वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:40:37 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक 20.04.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। [illegible] के वाद का सारतः रहा कि आराजी ख0न0 हाल 892 / 0.15, 893 / 0.16, 894 / 0.15, 895 / 0.25 , 376 / 0.10, 377 / 0.11,378 / 0.11 है0 वाके ग्राम नांगल उदिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी। आ0ख0न0 892 / 0.15, 893 / 0.16, 894 / 0.15, 895 / 0.25 , 902 / 1170 / 0.37, 896 / 0.35 है0 आराजी में मिन वादी का 1 / 3 भाग दर 1 / 2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है और मौके पर उक्त आराजी में 19 बिस्वा आराजी का खातेदार था। शेष आराजी असल प्रतिवादीगण व तरप्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त की आराजी थी एवं आ0ख0न0 371 / 0.10, 376 / 0.10, 377 / 0.11, 378 / 0.11 है0 वाके ग्राम

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

नांगल उदिया मुण्डावर में मिनवादी 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार था और मौके पर 1/4 भाग पर काबिज होकर काश्त रहा है। उक्त विवादित आराजी के बाबत असल प्रतिवादीगण ने दीगर आराजी के साथ बंटवारे का दावा दायर किया था जो बअनुवान सचेतानन्द बनाम ब्रहम्मानंद के नाम वाद विचाराधीन होकर दिनांक 21.07.1993 को श्रीमान एस डी ओ साहब किशनगढबास द्वारा फाईनल डिक्री किया गया था। जिस डिक्री में उक्त आ0ख0न0 896,902/1170, 371, बंटवारे में प्रतिवादीगण को दी गई थी तथा शेष आराजी जो वाद में विवादित है का सम्पूर्ण हिस्सा में वादी 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार रहेगा और शेष भाग आराजी पर तरप्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार रहेगे। उक्त बंटवारे की फाईनल डिक्री के आधार असल प्रतिवादीगण के नाम जरिये इंतकाल के राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गया लेकिन उक्त विवादित आराजी में से उनका नाम हजफ नहीं किया गया जबकि मुताबिक डिक्री उनका नाम हजफ किया जाना आवश्यक था जबकि असल प्रतिवादीगण 1 ल0 10 का आराजी से सम्वंध व सरोकार नहीं है। जिस हेतु तहसीलदार महोदय मुण्डावर से रिकार्ड दुरस्त करने को कहा तो बताया कि अदालत से आदेश लेकर आवो। आदि–आदि का अंकन करते हुये प्रतिवादीगण को हु0ई0दवामी से पाबंद कराने का अधिकारी है। अंकित करते हुये निवेदन रहा कि वाद वादी व तरप्रतिवादीगण विरूद्ध असल प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री फरमाया जाये कि आ0ख0न0 892/0.15, 893/0.16, 894/0.15, 895/0.25, 376/0.10, 377/0.11, 378/0.11 है0 वाके ग्राम नांगल उदिया तहसील मुण्डावर के राजस्व रिकार्ड से असल प्रतिवादीगण स0 1ल 10 का नाम हजफ किया जाये तथा सम्पूर्ण हिस्से में मिन वादी को 1/3 भाग का तथा शेष 2/3 भाग पर तरप्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा इस कदर रिकार्ड में अमल किया जावे। असल प्रतिवादीगण को हु0ई0दवामी से पाबन्द किया जावे कि वे उक्त आराजी को दीगर जगह रहन, बय, मुन्तकिल न करे। रिकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की बाद विधिवत तलवी उपस्थित नहीं आने की स्थिति में प्रतिवादीगण 1 ल0 11 एवं 13 ,14, 15 तथा 17 ल0 26 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई तथा प्रतिवादीगण सं0 12, 14 को बार –बार जवाब अवसर दिये जाने के उपरान्त जवाब का अवसर समाप्त किया गया। वकील वादी ने अपने वाद पत्र की ताईद में लिखित साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 किता 8 प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी संवत् 2029 प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी संवत् 2037 प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी संवत् 2043 प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी संवत् 2047 प्रदर्श 5, नकल जमाबन्दी संवत् 2033 किता 2 प्रदर्श 6, नकल जमाबन्दी संवत् 2047 प्रदर्श– 7, प्रमाणित प्रति निर्णय 21.07.1993 सचेतानन्द बनाम ब्रहम्मानन्द न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास प्रदर्श 8, पर्चा डिक्री 21.07.1993 प्रदर्श 9 , जवाब दावा सचेतानन्द बनाम ब्रहम्मानन्द प्रदर्श 10, प्रार्थना पत्र प्रार्थी ब्रहम्मानन्द उपखण्ड अधिकारी प्रदर्श 11, राजीनामा सचेतानन्द बनाम ब्रहम्मानन्द प्रदर्श 12 पेश किये जो सम्मिलित पत्रावली है एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप वादी ने शपथ पत्र ओमप्रकाश पी0डब्ल्यू 01, राकेश कुमार पी0 डब्ल्यू 02, हरिपाल पी0डब्ल्यू 03, जगतानन्द पी0डब्ल्यू 04 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र के जिम्मनों को दोहराते हुये उक्त विवादित आराजियात के बाबत के राजस्व रिकार्ड में असल प्रतिवादीगण सं0 1ल 10 के नाम को हजफ किया जाकर उक्त विवादित आराजियात के सम्पूर्ण हिस्से में वादी को 1/3 भाग का खातेदार घोषिम किया जावे शेष 2/3 भाग पर तरतीबीप्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं असल प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबन्द किया जावे कि उक्त आराजी को दीगर जगह रहन, बैय, मुन्तकिल आदि न करे। रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे का अभिकथन किया।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गयी तथा पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। मुताबिक प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श 1 ल0 12 नकल जमाबन्दियात निर्णय प्रति दिनांक 21.07.1993, राजीनामा की प्रस्तुत प्रमाणित नकल सहित मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पी0डब्ल्यू 1 ल0 4 के मुताबिक उक्त विवादित आराजियात के बाबत वादी का 1/3 भाग एवं शेष 2/3 भाग तरतीबी प्रतिवादीगण के बाबत का विनिश्चय पाये जाने की स्थिति में एवं वादी द्वारा अपने वाद पत्र को सुसंगत दस्तावेजात से साबित कर दिये जाने की स्थिति में वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के हाल आ0ख0न0 892/0.15, 893/0.16, 894/0.15, 895/0.25 , 376/0.10, 377/0.11, 378/0.11 है0 वाके ग्राम नांगल उदिया तहसील [illegible] सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित कर दिये जाने की स्थिति में स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादी [illegible] डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजियात के बाबत के हाल राजस्व रिकार्ड में हो रहे असल प्रतिवादीग[illegible] 1ल[illegible] के नाम को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त विवादित आराजियात के [illegible] तिवादगण सं0 14 ल0 26 को 2/3 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित [illegible] में अमल दरामद किया जावे तथा असल प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पा[illegible] दित आराजियात को उनके नाम हो रहे अंकन की आड में दीगर जगह रहन, बैय आदि से मुन्तकिल ना करे। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:40:37 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 20.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
358 / 2018	26 / 10 / 2018	20 / 04 / 2022

1 औमप्रकाश पुत्र घीशा जाति ब्राह्मण निवासी नांगल उदिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

:– वादी

बनाम

1 महेशचन्द पुत्र शिवचरण

2 स्नेहलता पुत्री शिवचरण

3 राजबाला पत्नी सुरेश

4 नेमन्त कुमार

5 नरेन्द्र कुमार

6 रविन्द्र कुमार

7 देवेन्द्र कुमार पुत्रान सुरेश

8 नेमलता पुत्री सुरेश

9 सचेतानन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण

10 ब्रहमानन्द पुत्र श्योदयालयान जातियान ब्राह्मण निवासियान नांगल उदिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

11 सबरजिस्ट्रार मुण्डावर जिला अलवर

12 तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर

13 शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:– असल प्रतिवादीगण

14 सदाकौर पत्नी धनपत

15 बलवन्ता देवी पत्नी रामपत जातियान जाट निवासियान नांगल उदिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर

16 अमित कुमार

17 प्रवीण कुमार पुत्रान कैलाशचन्द

18 शशि पत्नी मुन्नालाल

19 प्रवीण कुमार

20 नवीन कुमार पुत्रान मुन्नालाल

21 टीना पुत्री मुन्नालाल

22 श्याम

23 प्रहलाद पुत्रान रामप्रताप

24 निरंजन पुत्र जयनारायण

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:40:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

25 सुशीला देवी किशोरीलाल

26 शान्ति पत्नी बाबूलाल जातियान ब्राह्मण निवासियान नांगल उदिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

:– तर प्रतिवादीगण

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से एडवोकेट श्री गंगाराम पटेल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20/04/2022 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–हाल आ0ख0न0 892/0.15, 893/0.16, 894/0.15, 895/0.25, 376/0.10, 377/0.11, 378/0.11 है0 वाके ग्राम नांगल उदिया तहसील मुण्डावर के बाबत के वाद को वादी द्वारा सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित कर दिये जाने की स्थिति में स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजियात के बाबत के हाल राजस्व रिकार्ड में हो रहे असल प्रतिवादीगण सं0 1ल0 10 के नाम को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त विवादित आराजियात के सम्पूर्ण हिस्सा में वादी को 1/3 भाग का तथा तरतीबी प्रतिवादगण सं0 14 ल0 26 को 2/3 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा असल प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजियात को उनके नाम हो रहे अंकन की आड में दीगर जगह रहन, बैय आदि से मुन्तकिल ना करे। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

यह पर्चा डिकी आज दिनांक 20/04/2022 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:40:37 IST
Reason: SelfAttested